

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

सं0सं0 :- 3 / अ०प्र०-१-११८ / २०२२ 359 / पटना, दिनांक :- ७.२.२४

चूँकि बिहार राज्यपाल को ऐसा विश्वास करने का कारण है कि श्री प्रमेन्द्र नाथ, तदेन सेवानिवृत्त द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत सिवान जिला में वित्तीय वर्ष २०२०-२१ में वित्तीय अनियमितता बरती गयी है, जैसा की संलग्न आरोप पत्र में अन्तर्विष्ट है। इसलिए बिहार राज्यपाल ने आदेश दिया है कि श्री प्रमेन्द्र नाथ, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम ४३ (बी) के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु बिहार पेंशन नियमावली के नियम ४३ (बी) के तहत मुख्य अभियंता-३, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री मुकेश श्रीवास्तव, पक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. श्री प्रमेन्द्र नाथ, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-१ एवं २, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत्त को निदेश दिया जाता है कि वे संचालन पदाधिकारी के समक्ष आदेश की प्राप्ति के दस कार्य दिवस के पश्चात् किसी भी समय, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें स्वयं उपस्थित हो।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति संचालन पदाधिकारी/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी/आरोपित पदाधिकारी को अनुलग्नक की प्रति के साथ जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(आदित्य प्रकाश)

अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3 / अ०प्र०-१-११८ / २०२२ 359 / पटना, दिनांक :- ७.२.२४

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ मुख्य अभियंता-३, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना सह-संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अविलम्ब विभागीय कार्यवाही आरम्भ कर दी जाय तथा ४५ (पैंतालीस) दिनों के अन्दर विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर जाँच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ तीन प्रतियों में तथा अनु० :- यथोक्त।

अवर सचिव

ज्ञापांक :- 3 / अ०प्र०-१-११८ / २०२२ 359 / पटना, दिनांक :- ७.२.२४

प्रतिलिपि :- आरोप पत्र/साक्ष्य की प्रति के साथ श्री मुकेश श्रीवास्तव, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता-४ का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री प्रमेन्द्र नाथ, तदेन कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल-१ एवं २, सिवान सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता-लाला कॉलोनी, वार्ड सं०-२१, डाकघर-डिहरी, थाना-डिहरी, जिला-रोहतास, पिन कोड-८२१३०७ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनु० :- यथोक्त।

अवर सचिव

अवर सचिव

८५९५७०४६

(1)

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-118/2022

प्रतिलिपि :- अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/उप सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-6, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

359

/पटना, दिनांक :- 7.2.24

ज्ञापांक :- 3/अ0प्र0-1-118/2022

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय
वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

359

/पटना, दिनांक :- 7.2.24

अवर सचिव

अवर सचिव